

19/1/18

वकुठकारी उपाखण्ड। प्रथम पत्र 72 के साथ पेशमूल
वाद प्रथम पत्र 07211 व धारा 151 जाबता हीवानी लीकर
होने से बाद पत्र खारिज किया गया। इसलिए प्रथम पत्र
प्रभाव शून्य हो गया है। कृपया कार्रवाई प्रथम पत्र
ड्रॉप की जाती है। पत्रावली के तल श्रुमार होकर तामिल
तकमील दफ्तर कार्रवाल है।

(सुरेश चौवला)

उपाखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
मसूदा (अजमेर) राज०

